भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3087

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

परिवहन और संभारतंत्र में महिलाओं की भागीदारी

†3087. श्री शशांक मणि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परिवहन और संभारतंत्र क्षेत्र के तीव्र विस्तार और समावेशी विकास की संभावनाओं को देखते हुए इसमें महिलाओं की भागीदारी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, संभारतंत्र पार्क और परिवहन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पुरुष-महिला संवेदी नीतियों, कार्यस्थल सुरक्षा उपायों और जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परिवहन और संभारतंत्र की विभिन्न शाखाओं में महिलाओं की भागीदारी में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सरकार किस प्रकार राज्य सरकारों, उद्योग निकायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग कर रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार ने कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन, कार्यस्थल सुरक्षा उपायों और हितधारकों के साथ समन्वित प्रयासों के माध्यम से परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और रोजगार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार उन एजेंसियों को प्राथमिकता देगी जो केवल महिलाओं के लिए आरडीटीसी की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। ऐसे केंद्रों में महिला प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षु भी महिलाएं ही होंगी।

2. दिनांक 15.12.2025 को यथा संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत, महिला यात्रियों द्वारा एग्रीगेटर एप्लिकेशन पर सुगमतापूर्वक महिला ड्राइवरों के विकल्प का चयन करने के लिए एक प्रावधान शुरू किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिली है।

3. जनवरी, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य परिवहन उपक्रम की बसों के साथ ही ऐप आधारित कैब सहित टैक्सी में महिला बस कंडक्टरों और ड्राइवरों की संख्या बढ़ाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का अनुरोध किया था।

4. इसके अलावा, सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित आवागमन विकल्प में सहायता मिलती है:

i) अधिसूचना सा.का.नि. 1095 (अ), दिनांक 28 नवंबर 2016 के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन करते हुए दो पहिया, ई-रिक्शा और तीन पहिया वाहनों को छोड़कर सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और एक या अधिक आपातकालीन बटन लगाने को अधिदेशित किया गया है।

ii) "निर्भया फ्रेमवर्क के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एआईएस 140 विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए राज्य-वार व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के विकास, अनुकूलन, संस्थापन और प्रबंधन" के कार्यान्वयन के लिए कुल 463.90 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की एक योजना (15 जनवरी, 2020 को) को अनुमोदित किया गया है।

प्रस्तावित सिस्टम का उद्देश्य लोकेशन ट्रैकिंग उपकरणों और आपातकालीन बटन, निगरानी अलर्ट फिट किए गए सार्वजनिक सेवा वाहनों को राज्य आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (एसईआरएस) के साथ समन्वय से ट्रैक करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निगरानी केंद्र स्थापित करके महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को बढ़ाना है। सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 18 ने अब तक इन केंद्रों को शुरू कर दिया है।

iii) मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 में महिला यात्रियों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का एक व्यापक सेट दिया गया है, जिसमें ड्राइवरों के लिए अनिवार्य लैंगिक-संवेदनशीलता प्रशिक्षण, एग्रीगेटर और राज्य नियंत्रण कक्षों से जुड़े पैनिक बटन के साथ एआईएस-140 के अनुरूप व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम संस्थापित करना, समर्पित नियंत्रण कक्षों और कॉल सेंटर के माध्यम से चौबीस घंटे निगरानी, चाइल्ड-लॉक के दुरुपयोग का निषेध और यात्री सुरक्षा कानूनों का कड़ाई से अनुपालन, लाइव लोकेशन शेयरिंग, ड्राइवर की पहचान, बहुभाषी सहायता, मादक पदार्थों के सेवन को बर्दाश्त नहीं करना, साइबर-सुरक्षा उपाय और आपातकालीन चेतावनी तंत्र जैसी ऐप-आधारित विशिष्टिताएं शामिल हैं, ताकि वास्तविक समय में सहायता और शिकायत निवारण किया जा सके।

*****